



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.  
**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**  
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय  
(A Central University established by the Central Universities Act, 2009)  
Phone 07752-260017, fax 07752-260148 Website www.ggu.ac.in

क्र. 999/प्रशा./स्था./2013,

बिलासपुर, दिनांक 12-07-2013


## आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F.1-15/2009 (Anti Ragging) दिनांक 21 जून 2012 के अनुसार यू.जी.सी. के द्वारा जारी अधिसूचना F.1-16/2009 (CPP-II) दिनांक 21 अक्टूबर 2009 में उल्लेखित निर्देश के अन्तर्गत एन्टी रैगिंग दल का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. डॉ० एस.व्ही.एस.चौहान, आचार्य	—	संयोजक
2. डॉ० प्रदीप शुक्ला, आचार्य	—	सह-संयोजक
3. डॉ० शैलेन्द्र कुमार, आचार्य एवं निदेशक	—	सदस्य
4. डॉ. व्ही.डी.रंगारी, आचार्य	—	सदस्य
5. डॉ० एल.पी.पटेरिया, आचार्य	—	सदस्य
6. डॉ० वी.एस.राठौर, आचार्य	—	सदस्य
7. डॉ० ए.रामाकृष्णा, सह-आचार्य	—	सदस्य
8. डॉ० एस.एस.धुरिया, सह-आचार्य	—	सदस्य
9. डॉ० पी.पी.मूर्ति, सह-आचार्य	—	सदस्य
10. डॉ० के.पी.मीना, सहा.प्राध्यापक	—	सदस्य
11. श्रीमती पुष्पलता पुजारी, सहा.प्राध्यापक	—	सदस्य
12. डॉ० शबाना यास्मीन खान, सहा.प्राध्यापक	—	सदस्य

एन्टी रैगिंग दल से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में निहित निर्देश के तहत कार्यवाही कर कुलपति महोदय को आवश्यकतानुसार अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ. क्र. 1000/प्रशा./स्था./2013,  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 12-07-2013

1. कुलपति/सम-कुलपति के सचिव/स्टेनो की ओर कुलपति/सम-कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त अध्ययन शालाओं के अधिष्ठातागण/शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षगण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
3. एन्टी रैगिंग दल के संयोजक/सह-संयोजक एवं समस्त सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कुलानुशासक/अधिष्ठाता छात्रकल्याण/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षकगण की ओर सूचनार्थ।
5. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

12/07/13  
उप-कुलसचिव (प्रशासन)

Sub  
173/CSH  
13/7/13